उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2–1422 / ग्यारह–9(125) / 09–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(145)–2015
लखनऊः दिनांकः: 14 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 से 09 टन से अधिक भार के खाद्य तेल के परिवहन के दौरान उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 40 के अधीन विहित प्रपत्र इक्कीस में परिवहन मेमो जारी किया जायेगा और साथ में रखा जायेगा।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।